उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): नहीं-नहीं, 2.00 बजे क्वेश्चन आवर है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, अभी आप हाउस एडजर्न कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): हाउस दो बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

———————

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWER TO QUESTIONS

New medical colleges in Gujarat

*261. SHRI NATUJI HALAJI THAKOR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Medical Council of India (MCI) has recently rejected two proposals of new medical colleges to be established at Surat and Rajkot in Gujarat;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the proposal for setting up Surat Medical College had fulfilled all the criteria as per the norms laid down by the MCI; and

(d) whether the Ministry is contemplating to get the said proposals re-examined and would consider the same in view of national interest and future of the students and, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): (a) As per the information received from Medical Council of India (MCI), they have not received any application/proposal for establishment of new medical college at Surat and Rajkot.

(b) to (d) Do not arise.

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात समेत अन्य राज्यों से भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) को नये महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है? गुजरात के सभी प्रस्तावों पर सरकार और एम.सी.आई...

श्री सभापति: आप अपने मेन सवाल पर जाइए। मेन सवाल से सप्लिमेंटरी निकलता है। आपका जो मेन सवाल है, उसका पहला हिस्सा पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे सवाल पूछिए।...***(व्यवधान)***... यह सवाल सूरत और राजकोट पर है।

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर: महोदय, गुजरात के सभी प्रस्तावों पर सरकार और एमसी.आई. ने जो अध्ययन किये हैं, उनके क्या निष्कर्ष निकले और अनुमोदन में विलंब के क्या कारण हैं

सर, मैंने पहला प्रश्न यह पूछा है कि गुजरात समेत अन्य राज्यों से भारतीय चिकित्सा परिषद् को नए महाविद्यालयों को खोले जाने सम्बन्धी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है? ...*(व्यवधान)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, इनका जो पहला सवाल था, उसमें इन्होंने पूछा कि क्या एम.सी.आई. ने दो प्रोपोजल्स, सूरत और राजकोट के, रिजेक्ट किए हैं? हमने इसका उत्तर दिया है कि इस तरह का कोई प्रोपोजल ही नहीं है।

श्री सभापति: आप इन्हें इससे रिलेटेड सप्लिमेंटरी पूछने दीजिए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, इन्होंने गुजरात के बारे में जो नया क्वैश्चन पूछा है वह मैं बता सकता हूँ।

2011-2012 के लिए छ नए medical colleges के प्रस्ताव हैं। एक मेडिकल कॉलेज गोत्रीवडोदरा, गुजरात है। यह एक गवर्नमेंट सोसायटी है, 150 सीट्स के लिए है और इसका इंस्पेक्शन3 और 4 मार्च, 2011 को हुआ। दूसरा मेडिकल कॉलेज सोला में है। यह भी एक गवर्नमेंट सोसायटी है, 150 सीट्स के लिए है और इसका इंस्पेक्शन 4 एवं 5 मार्च, 2011 को हुआ है। तीसरा मेडिकल कॉलेज गांधी नगर, अहमदाबाद, गुजरात में है। यह भी एक गवर्नमेंट सोसायटी है, 150 सीट्स के लिए है तथा इसका इंस्पेक्शन9 एवं 10 मार्च, 2011 को हुआ है। चौथा मेडिकल कॉलेज धारपुर-पाटन, गुजरात है। यह भी एक गवर्नमेंट सोसायटी है, 150 सीट्स के लिए है और इसका इंस्पेक्शन भी 4 एवं 5 मार्च, 2011 को हो गया है। इसके अलावा जैसे मैंने केवल दो मेडिकल कॉलेजिज़ बताये, उनमें से एक, गवर्नमेंट सोसायटी मेडिकल कॉलेज, वलसाड है और दूसरा गुजरात कैंसर सोसायटी, अहमदाबाद, प्राइवेट है। इन दोनों ने 150-150 seats intake के लिए माँगी हैं लेकिन दोनों ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से रिक्वेस्ट की है – क्योंकि अब मेडिकल काउंसिल नहीं है, बल्कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है – इन्होंने उससे रिक्वेस्ट की है कि हमारी इंस्पेक्शन रोक दी जाए, क्योंकि अभी हमारी तैयारी नहीं है।

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर सर, गुजरात सरकार की तरफ से आठ कॉलेजिज़ के लिए प्रस्ताव रखे गये थे, लेकिन पिछले साल गुजरात के तीन मेडिकल कॉलेजिज़ को मान्यता नहीं दी गयी जबकि पटियाला का एक प्राइवेट कॉलेज, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे।*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: आपका जो सवाल है, उस पर पूछिए।

श्री ***नतुजी हालाजी ठाकोर:*** सर, यह उसी से संबंधित है। इन्होंने तीन कॉलेजों को मान्यता नहीं दी और एक प्राइवेट कॉलेज, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे उसको मान्यता दे दी गयी।...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: अगर आपको यह पूछना था, तो आपको अपना सवाल उसी तरह से लिखना चाहिए था। आपने जो सवाल पूछा है, वह दो जगहों के मुताल्लिक पूछा है। आप उससे हटकर नहीं पूछिए।

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर: सर, मैं उसी के संबंध में पूछ रहा हूँ कि इन्होंने पिछले साल तीन कॉलेजों को मान्यता नहीं दी है, इसके क्या कारण हैं? जिस कॉलेज पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसको आपने मान्यता दे दी है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, चाहे वह पहली मेडिकल काउंसिल हो या अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो, ये कुछ नियमों के अनुसार चलती हैं और इसके लिए जो बुनियादी नियम है वह यह है कि जब कोई अप्लाई करता है, तो उसके बाद इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन में देखे तीन चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली जरूरी चीज़ फैकल्टी का होना है, फिर हॉस्पीटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट तथा क्लीनिकल मैटिरियल का होना है।

इन्होंने तीन कॉलेजिज़ के नाम नहीं लिये हैं। मैं उनके नाम इनके लिए ले लेता हूं। एक के.जे. मेहता जनरल हॉस्पीटल एंड मेडिकल कॉलेज, अमरगढ़, गुजरात है। इसका फर्स्ट बैच हुआ था और इन्होंने सेंकट बैच के लिए अप्लाई किया था। जैसा कि सेकंड बैंच के लिए हर साल रिन्यु होता है और यह रिन्युवल इयरली बेसिस पर होता है, क्योंकि जब एक साल के लिए रिन्युअल लिया जाता है तो वे प्रॉमिस करते हैं कि हम अगले साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी बढ़ाएँगे, तब दोबारा आएँगे। जब पिछले साल उसकी इंस्पेक्शन के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लोग गये तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, ह्यूमन रिसोर्स की कमी थी और क्लीनिकल मैटिरियल की कमी थी। उसके बाद यह इंस्टीट्यूशन कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को यह हिदायत दी कि आप इंस्पेक्शन कीजिए। जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लोग वहाँ इंस्पेक्शन के लिए गये तो उन्हें वहाँ दरवाजे से अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। दरअसल उनको यह मालूम नहीं था कि कोर्ट ने कल कहा है और आज ये इंस्पेक्शन के लिए आ जाएँगे। इसलिए उनको इज़ाजत नहीं दी। फिर दूसरी दफा इनको एक मौका और दिया गया और 18 सितम्बर को दूसरी इंस्पेक्शन की गयी, तो उसमें कोई अंतर नहीं था। वह डिफिशियंसी जहाँ की तहाँ थी, इसलिए उसको मान्यता नहीं दी गयी।

दूसरा मेडिकल कॉलेज शोला, गुजरात में है। यह पहले ही जून, 2010 में रिजेक्ट किया जा चुका था। इसकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, क्लीनिकल मैटिरियल नहीं है तथा फैकल्टी की कमी है। इसका दोबारा reassessment 13 और 14 सितम्बर को हुआ और जो तीन डिफिशियंसीज़ थीं, वे वैसी ही रह गयीं।

तीसरा, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, वह establishment of new Medical College, वडोदरा, गुजरात में है। यह भी एक नया कॉलेज था। इसमें भी जून, 2010 में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और क्लीनिकल मैटिरियल, इन तीनों चीज़ों की कमी पायी गयी। फिर इसका भी सितम्बर, 2010 में इंस्पेक्शन हुआ, लेकिन जो कमियाँ थीं, वे ज्यों की त्यों पायी गयीं, जिसकी वजह से यह भी आगे नहीं बढ़ पाया।

DR. ASHOK S. GANGULY: Sir, first of all, I don't know whether it is widely known in this House that the Medical Council of India was in the pits and the privately run medical education was becoming a racket in this country. It is a compliment to the hon. Minister that the previous Medical Council of India was removed and a new Medical Council of India was constituted. My question is: Will the new Medical Council of India, which is doing excellent work, be allowed to retain its academic freedom? Will there be buerocratic interference? Will the Medical Council of India see a new day?

MR. CHAIRMAN: Would you relate it to the question? ...*(Interruptions)*... It is not related.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I would like to assure the House that Board of Governors have total freedom whatsoever. We do not interfere except for policy directions.

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि जिन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के बारे में गुजरात से संबंधित प्रश्न श्री नतुजी हालाजी ठाकोर ने उठाया है, उन्होंने गलती से शायद सूरत और राजकोट के नाम लिए इनका वह आशय नहीं था। त्रिवेदी साहब भी हंस रहे हैं। जब नए मेंबर्स आते हैं, तो उनके सवाल पूछने का शायद यही तरीका होता है और technicality का इन्होंने जवाब दे दिया है, यह भी सही है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूंकि गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं, जहां मेडिकल कॉलेजों में merit पर admission दिए जाते हैं, जहां डोनेशन लेने-देने का सवाल नहीं होता है, ऐसे कॉलेजों को मान्यता देने के लिए यदि उनके यहां कोई कमी होती हैतो उनसे affidavit लेकर कि वे इन कमियों को दूर कर देंगे, ऐसा करके इन कॉलेजों को मंजूरी देनी चाहिए। जोself-finance वाले कॉलेज हैं...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: यह सवाल अलग है।

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सभापति जी, self-finance वाले कॉलेजों के दबाव के कारण ही गवर्नमेंट कॉलेजों को नहीं मिल रहा है...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: देखिए, ऐसे काम नहीं होगा...*(व्यवधान)*...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: अगर गवर्नमेंट कॉलेजों के इन्फ्रास्ट्रक्चर कीfacility गुजरात में नहीं है, तो और किस जगह पर होगी? आपकी बात कौन मानेगा? वे गुजरात गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। वहां बिना डोनेशन के गरीब विद्यार्थियों कोmerit पर admission दिया जाता है, लेकिन...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: This is not relevant. ...*(Interruptions)*...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: उनके कॉलेजों को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं..*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Please resume your places. ...*(Interruptions)*...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सर, ये गवर्नमेंट के कॉलेज हैं ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: देखिए, आप इस तरह से...*(व्यवधान)*...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: ये गवर्नमेंट के कॉलेज हैं जहां, डोनेशन नहीं ली जाती है, जहां गरीब विद्यार्थियों कोmerit पर admission लेकर पढ़ने की सुविधा है...*(व्यवधान)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सभापति जी, गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व प्राइवेट से 10 गुना ज्यादा है। चाहे केन्द्रीय सरकार हो, या राज्य सरकार हो कांग्रेस की सरकार को या बी.जे.पी. की सरकार हो, अगर वे सरकार में रहकर infrastructure and human resouce को पूरा नहीं कर सकते, तो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कैसे कह सकते हैं कि आप इन्हें पूरा करें ?...*(व्यवधान)*...

श्री विजय कुमार रूपाणी: सभापति जी, गुजरात में गरीब विद्यार्थियों...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Please resume your places. ...*(Interruptions)*...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सभापति जी, वहां के सरकारी मेडिकल कॉलेजों..*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: अहलुवालिया जी, प्लीज़ इन्हें चुप कराइए...*(व्यवधान)*...

श्री विजय कुमार रूपाणी: कहां लिखा हुआ है...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Please don't do this. ...*(Interruptions)*... Ahluwaliaji...*(Interruptions)*....

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: हिंदुस्तान में यह बात कौन मानेगा..*(व्यवधान)*...

श्री विजय कुमार रूपाणी: यह गरीबों के खिलाफ है..*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Will you please allow the Question Hour to proceed? आप लोग जरा बैठ जाइए...*(व्यवधान)*... आप लोग जरा ठंडे दिल से...*(व्यवधान)*... प्लीज़, आप लोग बैठ जाइए...*(व्यवधान)*... देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि सवाल पढ़िए और उसके बाद उस पर सप्लीमेंटरी सवाल पूछिए। सवाल बहुत limited है, बहुत specific है और उसका जो जवाब मिला है, बात वहां पर खत्म हो गई। आपका जो larger discussion है, उसके लिए आप दूसरा सवाल पूछिए, आपको सरकार से जवाब जरूर मिलेगा, मगर दोनों चीज़ों को मत मिलाइए।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में Board of Governors की जो inspection होती है, उसके लिए क्या criterion है और कितनी देर के बाद यह inspection होती है? एक बार inspection करने के बाद अगर ये...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: This does not relate to this question.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति जी, यह इसी के बारे में है। माननीय सदस्य ने दो कॉलेजों की बात कही थी। मैं जनरल प्रश्न पूछना चाह रही हूं।...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: The Chair has to regulate the Question Hour under constraint of time. Question No. 262.

Legislation for checking unauthorised medical clinics

*262. SHRI T.M. SELVAGANAPATHI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that government is considering to introduce a legislation to curb unauthorised medical clinics;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government is also aware that leading private hospitals do not have sufficient experienced doctors and other medical staff; and

(d) if so, whether Government is considering to bring these institutions also under the said law?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Health being a State subject, it is primarily the responsibility of the State Governments to regulate/monitor the functioning of clinical establishments in their respective States. Many States have their own laws to regulate mainly the private hospitals and nursing homes. However, the Government of India has also enacted the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 in this regard.

(c) No such instances have come to the notice of the Government.